



भारत सरकार
Government of India
खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो
Indian Bureau of Mines
Mine Code: 38RAJ20007

पंजीकृत पावती
उल्लंघन पत्र

माखुपुरा औद्योगिक क्षेत्र,
Makhupura, Industrial Area
अजमेर - 305 002 (राजस्थान)
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)

संख्या : RAJ/NGR-20/LST-6

दिनांक : 13.12.2022

प्रेषित : खान एजेंट, धनप्पा चूना पत्थर खान,
मैसर्स जे.के. व्हाइट सीमेंट वर्क्स (जेके सीमेंट लिमिटेड की इकाई)
पोस्ट ऑफिस-गोटन, जिला-नागौर (राजस्थान) - 342 902
Email: gotan@jkcement.com, deepak.kalla@jkcement.com

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your **Dhanappa Limestone Mine** (Lease area 400 Hect.) situated in Nagaur District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 21.11.2022 by the undersigned in presence of Sh. Deepak Kalla, Mines Agent:


Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Review of Mining Plan (Approved on 27.02.2019): - 1) In pit no. 2A & 3A, mining was proposed by formation of benches of 6m maximum height whereas actual bench height was observed more than 10m at some places.
Rule 31(4)	Plans & sections required to be kept under rule 32 have not been maintained up to date within three months.

02 इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

- (क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
- (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03 अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।


भवदीय,


(डी.आर. गुर्जर) 13/12/2022

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि, सूचनार्थ प्रेषित :-

1. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा)।
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. सहायक खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, गोटन, जिला नागौर।
4. रक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो